न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री हरि सिंह देवल, आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2023 / 27
दायरा तिथि : 05.08.2022
आदेश तिथि : 21-07-2023
प्रार्थी :–

1. करणसिंह पुत्र फतेहसिंह जाति राजपूत निवासी पावा तहसील सुमेरपुर
2. सतवचन सिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी जसोल बाडमेर

ब ना म

अप्रार्थी :–

1. भीमाराम पुत्र भबूताराम
2. भूराराम पुत्र भबूताराम
3. भीकाराम पुत्र भबूताराम
4. स्व. मोती पुत्र भबूताराम के वारिसान:–
   (क) लालाराम पुत्र मोती
5. स्व. रूपी पत्नि भबूताराम के वारिसान:–
   (क) बगदी पुत्री भबूताराम
   (ख) नीबी पुत्री भबूताराम
   (ग) सोदी पुत्री भबूताराम
   (घ) भूराराम पुत्र भबूतराम जातिगण देवासी निवासीगण जूना बेडा हाल निवासी बेडा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश                                                                 दिनांक: 21-07-2023

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि मौजा ग्राम जूना बेडा पटवार हल्का बेडा ।। तहसील बाली के खसरा नंबर 3415/4747 रकबा 1.1400 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम जूना बेडा पटवार हल्का बेडा ।। तहसील बाली के खसरा नंबर 3448 रकबा 0.4100 हैक्टर मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बेडा ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2023/7033 दिनांक 22.03.2023 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक, बेडा की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि ग्राम जूना बेडा पटवार हल्का बेडा ।। तहसील बाली के खसरा नंबर 3415/4747 रकबा 1.1400 हैक्टर की भूमि प्रार्थी श्री करणसिंह जोधा पुत्र फतेहसिंह जाति राजपूत निवासी पावा तहसील सुमेरपुर जिला पाली व सतवचन सिंह पुत्र नरेन्द्रसिह जाति राजपूत निवासी जसोल बाडमेर के नाम से संयुक्त खातेदारी भूमि दर्ज है। खातेदार की धारितं भूमि में आवागमन के लिये प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। वर्तमान में खसरा नंबर 3448 रकबा 0.4100 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि में से आवागमन करते हैं।

2. यह है कि प्रस्तावित ग्राम बेडा।। की भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

| क्र. स. | खसरा नंबर | रकबा हैक्टर में | किस्म | रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल | नाम खातेदार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3448 | 0.4100 | बा.अ. | 45X9=405 वर्गमीटर | 1. भूरा पुत्र भबूता हि0 1/5 रेबारी<br>2. भीखा पुत्र भबूता हि0 1/5 रेबारी<br>3. भीमा पुत्र भबूता हि0 1/5 रेबारी<br>4. मोती पुत्र भबूता हि0 1/5 रेबारी<br>5. रूपी पत्नी भबूता हि0 1/5 रेबारी |

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम बेडा ।। की डी.एल.सी. दर 254520/– रूपये प्रति हैक्टर है।
4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज.

पेज लगातार.........02

**राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2023/27**

अनवान करणसिंह वगैरा बनाम भीमाराम वगैरा

***अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955***

प्रकरण में अप्रार्थीगण भीमाराम पुत्र भबूताराम, भूराराम पुत्र भबूताराम, भीकाराम पुत्र भबूताराम, स्व0 मोती पुत्र भबूताराम के वारिसान लालाराम तथा स्व0 रूपी पत्नी भबूताराम के वारिसान बगदी, नीबी, सोदी पुत्रियां भबूताराम जाति देवासी निवासी जूना बेडा हाल निवासी बेडा की ओर से राजीनामा पेश किया गया। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य आपसी समझाईश व लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है तथा अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में से तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय संलग्न नजरी नक्शा में से दर्शित ट्रैक अनुसार रास्ता देने हेतु पूर्ण रूप से सहमत है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉक:प.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा जूना बेडा पटवार हल्का बेडा।। तहसील बाली के खसरा नंबर 3415/4747 रकबा 1.1400 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम जूना बेडा पटवार हल्का बेडा ।। तहसील बाली के खसरा नंबर 3448 रकबा 0.4100 हैक्टरमेंसे **405 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

| खसरा नंबर | रकबा हैक्टर मे | रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल | डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये | देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 254520/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि | नाम खातेदार |
|---|---|---|---|---|---|
| 3448 | 0.4100 | 45X9=405 वर्गमीटर | 26 | 10530X2= 21060 | 1. भूरा पुत्र भबूता हि0 1/5 रेबारी<br>2. भीखा पुत्र भबूता हि0 1/5 रेबारी<br>3. भीमा पुत्र भबूता हि0 1/5 रेबारी<br>4. मोती पुत्र भबूता हि0 1/5 रेबारी<br>5. रूपी पत्नी भबूता हि0 1/5 रेबारी |

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 21060/– **(अक्षरे इक्कीस हजार साठ रूपये मात्र)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण को अदा की जायेगी। अप्रार्थीगण द्वारा राशि नहीं लिये जाने की दशा में प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू–अभि. बेडा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री [illegible] सिंह [illegible])
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी बाली (जिला-पाली) राज.
दिनांक 21-07-2023

क्रमॉक/कोर्ट/2023/351-355

**प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:–**

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, बेडा
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक करणसिंह जोधा पुत्र फतेहसिंह जाति राजपूत निवासी पावा तहसील सुमेरपुर वगैरा को सूचनार्थ।

**उपखण्ड अधिकारी, बाली**
उपखण्ड अधिकारी बाली (जिला-पाली) राज.